

हिमाचल प्रदेश सरकार  
ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आवासीय  
सुविधा प्रदान करने हेतु  
“इन्दिरा आवास योजना”  
एवं  
“अटल आवास योजना”  
ग्रामीण विकास विसो  
शिमला-171009

**इन्दिरा आवास योजना तंम अटल आवास योजना**

आवास एक आधारभूत आवश्यकता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गृहहीन परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना तथा अटल आवास योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत को कम से कम दो घरों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

**कार्यक्षेत्र**

यह लाभार्थी आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके लिए उन्हें सहायता अनुदान दिया जाता है।

**कार्यनीति**

मकान बनाने के लिए दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्रति इकाई 38500/-₹0 का अनुदान दिया जाता है। स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चुल्हा मकान में अवश्य होना चाहिए। मकान के निर्माण में स्थानीय समाग्री अपनाने को बढावा दिया जाता है जिनपर पर लागत कम आये और जो पर्यावरण के अनुकूल हों।

**लाभार्थियों का चयन**

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को अनुदान राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है।